न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1744

1. अमित पुत्र रामकिशन
2. आशा पुत्री रामकिशन
3. करिश्मा पुत्री रामकिशन
4. तुलसी पत्नी रामकिशन
5. तोफा पुत्री रामकिशन
6. ममता पुत्री रामकिशन
7. रोशन पुत्र रामकिशन
8. महादेव प्रसाद पुत्र मूलचन्द
9. श्योजी पुत्र मूलचन्द
10. महेन्द्र पुत्र रामकिशन
11. राजेन्द्र पुत्र रामकिशन
12. शिवराज पुत्र रामकिशन
13. राजन्ती देवी पत्नी रामकिशन
14. बाबूलाल पुत्र सीताराम
15. कैलाशचंद पुत्र सीताराम
16. कमला देवी पत्नी सीताराम

समस्त जाति मीणा निवासीयान सिण्दोली तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा। (राज0)

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. कल्याण पुत्र रामदेव
2. नन्दा पुत्र रामदेव (दौराने वाद नाऔलाद फौत हो चुका है)
3. नानगा पुत्र रामदेव

जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम सिन्दोली तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा। (राज0)

4. सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा। (राज0)।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा (राज0) प्रकरण संख्या 45/2023 उनवानी कल्याण बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 03.07.2025 अन्तर्गत धारा 136 भू0रा0अधि0 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री रामअवतार शर्मा, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 11.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 03.07.2025 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 17.11.2025 को प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2025 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसीलदार रामगढ पचवारा को निर्देश दिये गये कि वह अन्दर अवधि 15 योम में दोनों जमाबन्दीयों में प्रार्थीयान के हिस्साकसी में उपलब्ध विरोधाभाष का समुचित निराकरण करते हुए प्रार्थीगण की उपस्थिति में सुनकर जरिये शुद्धिपत्र दुरूस्त करना सुनिश्चित करें। दोनों जमाबन्दीयों की छायाप्रति पालना हेतु आदेश के साथ भेजी जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2025 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 03.07.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट अमित पुत्र रामकिशन वगै0 द्वारा यह अपील प्रार्थना–पत्र 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 03.07.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों को बगैर मनन किये विधि के सिद्धांतों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर भारी कानूनी एवं प्रक्रियात्मक भूल कारित की है जो काबिले निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत हिस्सा शुद्धि बाबत झूठ बोलकर राजस्व कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक गलती से हिस्सा गलत दर्ज करने के तथ्य उल्लेखित किये। जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार जी ने शुद्धि पत्र के आधार पर हिस्सा शुद्धि किया था जिसका नामान्तकरण सं. 3 दिनांक 08.09.2022 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट्स व अन्य सह खातेदारों का हिस्सा शुद्ध किया गया था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि शुद्धि पत्र के माध्यम से उक्त हिस्सा दुरूस्त किया गया था रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त शुद्धि पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए थी या फिर नियमित वाद लाकर अपना हिस्सा दुरूस्त करवाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना क्षेत्राधिकार के उक्त दुरूस्ती पत्र को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल कारित की है जो काबिले निरस्त योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है यदि किसी शुद्धि पत्र के माध्यम से रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है तो ऐसी अवस्था में उक्त शुद्धि पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर ही पूर्व स्थिति बहाल की जा सकती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर उक्त शुद्धि पत्र को सुनने का अधिनस्थ न्यायालय को कतई क्षेत्राधिकार नही था। उक्त शुद्धि पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय को ही प्राप्त था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त शुद्धि पत्र को अस्तित्व में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल कारित की है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 मे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत है ऐसी अवस्था में काश्तकारी अधिनियम

की धारा 209 के अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नही किया जा सकता। यदि काश्तकारी अधिनियम में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कोई प्रार्थना पत्र या वाद प्रस्तुत करते तो ही उक्त धारा के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय को शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित कर भारी भूल कारित की है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्त योग्य है। प्रश्नगत खसरा नम्बर 38 रकबा 9.04 है० में रेस्पोडेन्ट्स एवं अपीलार्थीगण को मिलाकर 43 सह खातेदार काश्तकार है जिसमें रेस्पोडेन्ट्स ने किसी भी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया तथा मात्र तहसीलदार जी को पक्षकार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 में प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 में स्पष्ट रूप से प्रावधान उल्लेखित है किसी भी खसरे के हिस्से बटे को लेकर कोई तात्विक त्रुटि जमाबंदी में कारित होती है तो ऐसी त्रुटि को तभी दुरूस्त किया जा सकता है जब सह खातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाए। किन्तु प्रश्नगत प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाया, ना ही अन्य सह खातेदारों को पक्षकार बनाया है, ना ही सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया गया। इसलिये एकपक्षीय आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीगण सं० 1 लगायत 7 के पिता/पति रामकिशन पुत्र मूलचन्द के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.08.2002 के माध्यम से 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि क्रय की गयी तथा विक्रय पत्र दिनांक 21.07.1997 के माध्यम से 3 बीघा 19.44 बिस्वा भूमि क्रय की गयी जिसका क्रय करने के पश्चात जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का हिस्सा 11/45 राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा था जिसमें अपीलार्थीगण के हिस्से में 8 बीघा 16.77 बिस्वा भूमि हिस्से में आती है अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के माध्यम से अपीलार्थीगण का हिस्सा कम कर दिया तथा राजस्व रिकार्ड में 1/8 हिस्सा दर्ज कर दिया (जिसमें करीब 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही खातेदारी दर्शित की गयी)। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से अपीलार्थीगण की 4 बीघा 6 बिस्वा खातेदारी की भूमि कम कर दी गयी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना क्षेत्राधिकार के प्रार्थी के हिस्से की खातेदारी कम कर दी गयी जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण सं० 8 लगायत 16 ने भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अपीलाधीन आराजीयात में हक हिस्सा खरीदा था तथा जिसमें विक्रय पत्र दिनांक 08.08.2002 के माध्यम से अपीलार्थी सं० 8 ने 2 बीघा 7 बिस्वा जमीन क्रय की थी जिसमें अपीलार्थी सं. 8 का हिस्सा करीब 4 बिस्वा कम कर दिया। इसी प्रकार अपीलार्थी सं० 9 ने दिनांक 30.07.1988 में 2 बीघा 7 बिस्वा जमीन क्रय की थी। उक्त अपीलार्थी के हिस्से में करीब 4 बिस्वा जमीन कम कर दी गयी इसी प्रकार अपीलार्थी सं० 10 लगायत 13 के द्वारा भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि कय की गयी थी जिसमें अपीलार्थीगण का हिस्सा करीब 8 बिस्वा भूमि कम कर दी गयी। इसी प्रकार अपीलार्थी सं० 14 लगायत 16 के पूर्व हक अधिकारी ने भूमि कय की गयी उसमें भी करीब 8 बिस्वा जमीन कम कर दी गयी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अपीलार्थीगण सं. 8 लगायत 16 की खातेदारी की भूमि में करीब डेढ बीघा भूमि कम कर दी गयी जो कि कानूनन अवैध व शून्य है। इसलिये अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट सं० 2 नन्दा पुत्र रामदेव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पारित करने से पूर्व ही फौत हो चुका था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.07.2025 का आदेश मृत व्यक्ति के पक्ष में पारित कर भारी कानूनी भूल कारित की है। मृतक व्यक्ति

के पक्ष में किसी भी प्रकार का आदेश है वह प्रारम्भ शून्य व अवैध आदेश है रेस्पोडेन्ट्स भलीभांति परिचित थे कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 नन्दा पुत्र रामदेव दौराने विचारण अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ही जनवरी 2025 में ही फोत हो चुका था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जी द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया था कि रेस्पोडेन्ट्स का हिस्सा पूर्व जमाबंदी से मिलान करने पर 1/36 – 1/36 हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए था जिसका तहसीलदार जी ने शुद्धि पत्र के माध्यम से हिस्सा बटा सही किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी मे उक्त शुद्धि पत्र को निरस्त करने या उक्त शुद्धि पत्र के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर बिना किसी ठोस साक्ष्य सबुत एवं तथ्यों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल कारित की है जो काबिले निरस्त योग्य है।

उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को तब हुई जब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की प्रमाणित प्रति लेने के लिये दिनांक 09.10.2025 को पटवार मण्डल से जमाबंदी प्राप्त की तो जमाबंदी में प्रार्थीगण का हिस्सा उक्त आदेश से कम कर दिया गया। प्रार्थीगण को पटवार हल्का पटवारी ने यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.2025 से आपके हिस्से की भूमि में करीब 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि कम कर दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी कर दिनांक 24.10.2025 को नकल के लिये आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 27.10.2025 को प्राप्त हुई। उक्त नकल प्राप्त होने के पश्चात बिना देरी किये श्रीमान के समक्ष उक्त आदेश दिनांक 03.07.2025 जानकारी से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 03.07.2025 से 09.10.2025 की अवधि जानकारी के अभाव में कन्डोन फरमाया जाकर जानकारी की अवधि से अपील को अन्दर मियाद माना जाकर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण के पिता रामकिशन पुत्र मूलचन्द के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.08.2002 के माध्यम से 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि क्रय की गयी तथा विक्रय पत्र दिनांक 21.07.1997 के माध्यम से 3 बीघा 19.44 बिस्वा भूमि क्रय की गयी जिसका क्रय करने के पश्चात जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का हिस्सा 11/45 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चला आ रहा था जिसमें प्रार्थीगण के हिस्से में 8 बीघा 16.77 बिस्वा भूमि हिस्से में आती है प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के माध्यम से प्रार्थीगण का हिस्सा कम कर दिया तथा राजस्व रिकार्ड में 1/8 हिस्सा दर्ज कर दिया (जिसमें करीब 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही खातेदारी दर्शित की गयी)। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से प्रार्थीगण की 4 बीघा 6 बिस्वा खातेदारी की भूमि कम कर दी गयी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना क्षेत्राधिकार के प्रार्थीगण के हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण को बगेर सुनवायी का अवसर दिये तथा बिना पक्षकार बनाये एकपक्षीय रूप से कम कर दी गयी। इस प्रकार प्रार्थीगण अपीलाधीन आदेश से पीडित है तथा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत दिये जाने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की उक्त उनवानी अपील को प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान करे ताकि प्रार्थीगण की अपील का गुणावगुण पर निस्तारण हो सके। अतः अपील अपीलान्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनाक 03.07.2025 को खारिज फरमाया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 9.0422 हेक्टेयर वाके ग्राम सिन्दोली तहसील रामगढ़ पचवारा में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीयान का पृथक–पृथक कल्याण 1/12, नन्दा 1/12, नानगा 1/12 का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त इन्द्राजात जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में हो रहे हैं। तत्पश्चात् राजस्व कर्मचारी द्वारा लापरवाही पूर्वक गलती से उक्त प्रार्थीगण का हिस्सा 1/12 के स्थान पर 1/36 प्रत्येक का अलग–अलग दर्ज कर दिया है, जो गलत है एवं अनुतोष चाहा कि प्रत्येक प्रार्थीगण का हिस्सा 1/36 के स्थान पर 1/12 पृथक–पृथक अंकन करते हुए शुद्ध किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसीलदार रामगढ पचवारा को निर्देश दिये गये कि वह अन्दर अवधि 15 योम में दोनों जमाबन्दीयों में प्रार्थीयान के हिस्साकसी में उपलब्ध विरोधाभाष का समुचित निराकरण करते हुए प्रार्थीगण की उपस्थिति में सुनकर जरिये शुद्धिपत्र दुरूस्त करना सुनिश्चित करें। दोनों जमाबन्दीयों की छायाप्रति पालना हेतु आदेश के साथ भेजी जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2025 पारित किये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 03.07.2025 द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 03.07.2025 द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 09.10.2025 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उभयपक्ष के मध्य विवाद रकबे के कम व ज्यादा होने को लेकर है। जिसके सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत है कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल राजस्व अभिलेख में रही लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारों की सहमति के आधार पर दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। राजस्व नक्शा (Revenue Map) एक महत्वपूर्ण राजस्व दस्तावेज है एवं इसमें किसी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रकार का संशोधन किए जाने से यदि किसी के खसरा नम्बर का रकबा बढ रहा है तथा अन्य के खसरा नम्बर का रकबा कम हो रहा है, तो इस तरह का अनुतोष सम्बन्धित की सहमति के बिना अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत किया जाना विधिसम्मत नहीं है। यदि रेस्पोडेन्ट को विवादित भूमि में हिस्सा परिवर्तन करवाना था, तो उन्हें प्रभावित खातेदारों को पक्षकार बनाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 89 के तहत सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना चाहिये था, जो नहीं कर धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित कराया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार करते हुये तहसीलदार रामगढ पचवारा को निर्देश प्रदान किये गये कि दोनों जमाबन्दीयों में प्रार्थीयान के हिस्साकसी में उपलब्ध विरोधाभाष का समुचित निराकरण करते हुए प्रार्थीगण की उपस्थिति में सुनकर जरिये शुद्धिपत्र दुरूस्त करना सुनिश्चित करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2025 पारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2025 को निरस्त किया जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर